संख्या– 331 /SOCW3/46/2022-XVII-A-3(C-37438)

प्रेषक,

महावीर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

E-Office C.R. Dy. No....1057165|3.11.22
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
(Department of Social Justice and Empowerment)

सेवा में,

निदेशक,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

समाज कल्याण अनुभाग–03 **देहरादून, दिनांक 28 अक्टूबर, 2022**

विषय–अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955 के अन्तर्गत कैलेण्डर वर्ष 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–PCR-11016/1/2022-PCR दिनांक 04.10.2022 एवं PCR-11015/1/2022-PCR दिनांक 06.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955 के अन्तर्गत कैलेण्डर वर्ष 2021 की वार्षिक रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर प्रेषित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,
Signed by Mahaveer Singh
Date: 21-10-2022 17:42:21

(महावीर सिंह)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तराखण्ड हल्द्वानी–नैनीताल।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
समाज कल्याण अनुभाग–03.
देहरादून।

पत्रांक 3304/स0क0/अत्या0उ0कले0सू0–2021/2022–23, दिनांक 19 अक्टूबर, 2022

विषयः– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार–निवारण) अधिनियम 1989 एवं सशोधित नियम–2016 तथा नागरिक अधिकार (संरक्षण) अधिनियम 1955 योजनान्तर्गत कैलेण्डर वर्ष 2021 की वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–260SOCW3/46/2022-XVII-A-3 दिनांक 08 सितम्बर 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार–निवारण) अधिनियम 1989 एवं नागरिक अधिकार (संरक्षण) अधिनियम 1955 के माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार–निवारण) अधिनियम 1995 के बिन्दु संख्या–18 में किये गये प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की सूचना निर्धारित प्रारूपों में सूचना शासन के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित की जाती है।

अतः उक्त के क्रम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार–निवारण) अधिनियम 1989 एवं नागरिक अधिकार (संरक्षण) अधिनियम 1955 योजनान्तर्गत कैलैण्डर वर्ष 2021 के सम्बन्ध में महानिदेशक, पुलिस (अपराध एवं कानून व्यवस्था) उत्तराखण्ड, देहरादून एवं समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तराखण्ड से प्राप्त सूचना निर्धारित प्रारूपों में संकलित कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि संकलित सूचना भारत सरकार को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बी0एल0 फिरमाल)
निदेशक।

अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति (अत्याचार–निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत कैलेंडर वर्ष 2021 की वार्षिक रिपोर्टः–

1– **कैलेण्डर वर्ष 2021 का विवरणः–** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार–निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत कैलेण्डर वर्ष 2021 में प्राप्त मामलों के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल राहत सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किये जाते है तथा प्राप्त मामलों को पंजीकृत करते हुए मा0 न्यायालय को प्रस्तुत किये जाते है।

2– **विधिक सहायताः–** अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार–निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत उत्पीड़ित व्यक्तियों को कानूनी सहायता हेतु जनपद बागेश्वर में विशेष अभियोजक नियुक्ति है तथा उनको नियमानुसार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत मामलों पर न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय के पश्चात रूपये 5.000/– प्रति वाद के दर से भुगतान किया जाता है। अन्य 12 जनपदों में जिला शासकीय अधिवक्ताओं (फौजदारी) द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत मामलों में विधिक सहायता प्रदान की जाती है।

3– **अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों एवं गवाहों को यात्रा सुविधाः–** पुलिस विभाग द्वारा उत्पीड़ित व्यक्ति तथा गबाहों को न्यायालय तक आने जाने के लिए सुविधा प्रदान की जाती है तथा जिन मामलों में यात्रा व्यय देय हो मामलों के अनुसार धनराशि प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है।

4– **पुनर्वासनः–** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार–निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत दर्ज मामलों में पीड़ित व्यक्ति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार–निवारण) संशोधित नियम–2016 में किये गये प्राविधानानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, यदि प्रकरण पुनर्वासन से सम्बन्धित हो तो जिलाधिकारी की अनुशंसा पर पुर्नवास की कार्यवाही की जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित अभियोगों की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा सम्पादित की जाती है। विवेचना समाप्ति के परिणाम वादी मुकदमा को अवगत कराते हुए आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

5– **अधिकारियों की नियुक्तिः**–अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार उत्पीड़न सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु समस्त जनपदों में पुलिस विभाग में विशेष जॉच प्रकोष्ठ का गठन किया है। जिनके द्वारा एससी/एसटी से सम्बन्धित अभियोगों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। एससी/एसटी उत्पीड़न से सम्बन्धित अभियोगों को तत्काल पंजीकृत किया जाता है, जिनकी विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा सम्पादित की जाती है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा एससी/एसटी से सम्बन्धित अभियोगों के पंजीकरण में लापरवाही बरते जाने की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है तथा पीड़ितों को समुचित सहयोग/सुरक्षा प्रदान किया जाता है।

क्रमशः–2/

6— **समितियों का गठनः**— जिला स्तर पर जिलाधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लोक अभियोजन अधिकारी आदि सदस्यों के साथ गोष्ठी आयोजित कर अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को समुचित सुरक्षा/सहयोग तथा मानकों के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है।

7— **सर्वेक्षणः**—उत्तराखण्ड राज्य में अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार—निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत कैलेंडर वर्ष 2021 में कोई सर्वेक्षण नहीं हो पाया है।

8— **उत्पीड़न ग्रस्त क्षेत्रों का पता लगानाः**— उत्तराखण्ड राज्य का कोई भी जनपद या क्षेत्र अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न से प्रभावित नहीं हैं जहां इस प्रकार की लगातार या अधिक घटनाये होती है।

9— **विशेष न्यायालयों की स्थापनाः**— उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों में विशेष न्यायालय की स्थापना की गयी हैं, जिनमें उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई की जाती है।

10— **विशेष थानों का गठनः**—उत्तराखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न से प्रभावित क्षेत्र नहीं है। इस कारण अलग से विशेष थानों का गठन नहीं किया गया है। जब कोई घटना होती है तो मामलों का निस्तारण नजदीकी थानों द्वारा किया जाता है।

11—**गैर अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति अधिकारियों द्वारा किया गया अपराध** :— उत्तराखण्ड राज्य में कैलेंडर वर्ष 2021 में इस प्रकार के कोई मामले प्रकाश में नहीं आये है। अतः सूचना शून्य है।

12— **नोडल अधिकारियों की नियुक्तिः**— अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम—2016 के नियम—9 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पीड़ितों और साक्षियों के अधिकारों के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी—नैनीताल को राज्य स्तर पर एवं समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

13— **उत्पीड़न ग्रस्त क्षेत्रों में विशेष अधिकारियों की नियुक्तिः**—राज्य में एससी/एसटी उत्पीड़न से ग्रसित कोई क्षेत्र नहीं है जहां इस प्रकार की लगातार या अधिक घटनाये होती है। सूचना शून्य है।

14— **माडल कैन्टीजैन्सी प्लानः**— राज्य के सभी जनपदों को शासन/मुख्यालय से समय—समय पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार—निवारण) अधिनियम 1989 के प्राविधानों के अनुपालन एवं अनुश्रवण किये जाने के निर्देश निर्गत किये जाते है।

15— **प्रचार—प्रसार** :— अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार—निवारण) अधिनियम के प्राविधानों के अनुपालन हेतु उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपद मुख्यालयों, विकास खण्डों पर

क्रमशः—3/—

शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिसमें समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के साथ–साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार–निवारण) अधिनियम 1989 की जानकारी एवं प्रचार–प्रसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

Annexure-I

Legal aid and other facilities provided to persons subjected to atrocities to enable them to avail themselves of justice

(Ref: Section 21{(2)(i)} of the Act)

State /UT: Uttarkhand.

Total Number of Districts: -13

Sr. No.	District	Number of persons provided legal aid and other facilities								
		Male			Female			Total (Male+ Female)		
		SC	ST	Total	SC	ST	Total	SC	ST	Total
1.	Pauri Garhwal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Tehri Garhwal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Chamoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Rudraprayag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Uttarkashi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dehradun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Haridwar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Nainital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Almora	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Pithoragarh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bageshwar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Champawat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	US Nagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Annexure-II

Travelling and maintenance expenses paid to witnesses, including the victims of atrocities, during investigation and trial of offences under the act

(Ref: Section 21{(2)(ii)} of the Act)

State /UT: **Uttarakhand.**

Total Number of Districts: -13

Sr. No.	District	Number of persons provided traveling and other Maintenance expenses								
		Male			Female			Total (Male+ Female)		
		SC	ST	Total	SC	ST	Total	SC	ST	Total
1.	Pauri Garhwal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Tehri Garhwal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Chamoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Rudraprayag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Uttarkashi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dehradun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Haridwar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Nainital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Almora	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Pithoragarh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bageshwar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Champawat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	US Nagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Annexure-III

REGISTRATION CASES AS PER PROVISIONS OF THE AMENDED PoA ACT (Year-2021)

State- **Uttarakhand.**

Section 3 (as amended)	Gist of Provision Expanded, re-phased and new offences of atrocities under Section 3 of the Poa Act as amended	Number of cases registered
1	हत्या	3
2	गम्भीरचोट	2
3	बलात्कार	26
4	आगजनी	0
5	अन्य भा0द0वि0	78
6	SC/ST Act	26
7	ना0अ0सं0	0
8	अहस्तक्षेपीय अपराध	0
		135

Annexure-IV

SPECIFICATION OF APRROPRIATE SCHEME TO ENSURE IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS AND ENTITLEMENTS OF WITNESSES IN ACCESSING JUSTICE

(SECTION 15a(11) OF THE Act.)

State- Uttarakhand.

Chapter of the PoA Act as amended	Section	Sub-Section	Gist
IVA	15A	11	थानों पर शिकायतकर्ता की सूचना पर तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर सूचना दर्ज कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति निःशुल्क दी जाती हैं। प्रत्येक घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ितों को समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराते हुए तत्काल प्रदान की जाने वाली सहायता हेतु जिला प्रशासन/जिला समाज कल्याण विभाग को रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित अभियोगों की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा सम्पादित की जाती है। विवेचना समाप्ति के परिणाम से वादी मुकदमा को अवगत कराते हुये आरोप पत्र/अन्तिम रिपार्ट की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

Annexure-V

Steps taken by way of economic and social rehabilitation of victims of atrocities: relief to atrocity victims

(Ref: Section 21{(2)(iii)} of the Act read with Rule 12(4) of the POA Rules, 1995, as amended)

State /UT: Uttarakhand.

Total Number of Districts: -13

Calendar year 2021

No.	District	Number of Atrocity victims provided relief								
		Male			Female			Total (Male+ Female)		
		SC	ST	Total	SC	ST	Total	SC	ST	Total
1.	Pauri Garhwal	5	0	5	4	0	4	9	0	9
2.	Tehri Garhwal	4	0	4	9	0	9	13	0	13
3.	Chamoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Rudraprayag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Uttarkashi	2	0	2	3	1	4	5	1	6
6.	Dehradun	5	0	5	3	0	3	8	0	8
7.	Haridwar	20	0	20	9	0	9	29	0	29
8.	Nainital	8	0	8	6	0	6	14	0	14
9.	Almora	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Pithoragarh	1	2	3	1	1	2	2	3	5
11.	Bageshwar	1	0	1	0	0	0	1	0	1
12.	Champawat	0	0	0	1	0	1	1	0	1
13.	US Nagar	10	0	10	5	0	5	15	0	15
	Total:-	**56**	**2**	**58**	**41**	**2**	**43**	**97**	**4**	**101**

Annexure-VI

INVESTIGATION AND FILLING OF THE CHARGE SHEET WITHIN SIXTY DAYS

State- **Uttarakhand.**

Rule	Gist of Provision	Action Taken	
		Number of cases of which investigation and filling of the chargs sheet was dons:-	
		Within sixty days	later then Sixty Days
7(2)	—	102	0

Annexure-VII

RELIEF AND REHABILITATION OF VICTIMS OF ATROCITIES

((Ref: Section 21(2)(iii) of the Act read with Rule 12(4) and Rule 12(4A) of the PoA Rules, 1995 as amended)

State- Uttarakhand

Rule	Gist of Provision	Action Taken	
		Number of cases of which the rellef amount was Paid to Concerned person(s) Within	
		seven days	later then seven days
12(4)	Provisions of relief to the concerned within seven days as per minimum amount of relief specified in Annexure-I of the Schedule of the PoA Rules as amended	1	100
12(4)A	Authorizaation by the State Government/UT Administration to the District Magistrate for immediate withdrawal of money from the treasury so as to timely provide relife amount.	Nil	Nil

Annexure-VIII

Officers appointed for initiating or exercising supervision over prosecutions for contravention of the provisions of the Act: Setting up of SC/ST Protection Cell

(Ref: Section 21(2)(iv) of the Act read with Rule 8 of the POA Rules, 1995)

State /UT: **Uttarakhand.**

Composition of the Cell	Activity of the Cell	Number
अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु समस्त जनपदों में विशेष जॉच प्रकोष्ठ का गठन किया है, जिनके द्वारा एससी/एसटी से सम्बन्धित अभियोगों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। एससी/एसटी उत्पीड़न से सम्बन्धित अभियोगों को तत्काल पंजीकृत किया जाता है, जिनकी विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा सम्पादित की जाती है। अभियोगों के पंजीकरण में लापरवाही बरते जाने की शिकायतें प्रकाश में नहीं आई है। इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है। पीड़ितों को नियमानुसार सहायता राशि प्रदान किये जाने हेतु सम्बन्धित जिला समाज कल्याण विभाग एवं जिलाधिकारी को आख्या प्रेषित करते हुये पीड़ितों को समुचित सहयोग/सुरक्षा प्रदान किया जाता हैं।	**Surveys of identified areas conducted**	-
	Investigations done about the probable causes leading to an offence under the Act.	
	Enquiries made about the investigation and spot inspection conducted by various officers	
	Enquiries made about the wilful negligence by a public servant	
	Reviews conducted to assess the position of cases registered under the Act.	

Annexure-IX

Constitution, frequency of conduct of the meetings of state, district and sub divisional level vigilance & monitoring committees

(Ref: Section 21(2)(v) of POA Act read with Rule 16, 17 &17A of POA Rules, 1995 as amended)

State /UT: Uttarakhand.

A. State Level Committee: Uttarakhand

(a) Whether constituted : Yes

(b) Number of meetings held in a calendar year : -

B. District Level Committees: yes

District Level Committees:-

District Level Committees				
Sr. No.	**District**	**Date of last constitution of the DLVMC**	**Number of meetings held during the Year**	**Important Decisions taken in the meetings**
1.	Pauri Garhwal	0	0	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित शिकायतों के निराकरण हेतु सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर हर सम्भव प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उत्थान हेतु सरकार द्वारा की जा रही कार्य योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाती है।
2.	Tehri Garhwal	24.03.2021	1	
3.	Chamoli	19.10.2021	1	
4.	Rudraprayag	0	0	
5.	Uttarkashi	0	0	
6.	Dehradun	03.06.2021	1	
7.	Haridwar	25.072021	1	
8.	Nainital	0	0	
9.	Almora	29.12.2021	1	
10.	Pithoragarh	21.09.2021	1	
11.	Bageshwar	17.12.2021	1	
12.	Champawat	0	0	
13.	US Nagar	18.06.2021	1	
	Total:		**8**	

c. Sub divisional level Committees;-

Sub divisional Level Committees				
Sr. No.	Sub divisional	**Date of last constitution of the SDVMC**	**Number of meetings held during the Year**	**Important Decisions taken in the meetings**
1	SDM Roorkee Haridwar	18-01-2021, 07-03-2021, 26-04-2021, 08-06-2021, 25-10-2021, 29-12-2021	06	Recommendation for payment of financial assistance to victims
	SDM Laksar Haridwar	30-06-2021	01	
	SDM Haridwar	07-01-2021 20-02-2021 21-05-2021 26-08-2021 18-10-2021 12-11-2021 28-12-2021	07	
	SDM Bhagwanpur Haridwar	19-02-2021 22-06-2021 27-10-2021	03	

Annexure-X

PERIODIC SURVEY CONDUCTED ON THE WORKING OF THE PROVISIONS OF THE ACT.

(Ref: Section 21(2)(vi) of the Act)

State/UT: Uttarakhand.

Total Number of Districts: 13.

Sr.No	Where periodic surveys were conducted	
	District	Number of surveys conducted
	Nil	Nil
	Total: Nil	Nil

Annexure-XI

AREAS IDENTIFIED WHERE MEMBERS OF SCs AND STs ARE LIKELY TO BE SUBJECTED TO ATROCITIES AND MEASURES ADOPTED TO ENSURE THIS SAFELY

(Ref: Section 21(2)(vii) of the Act)

State/UT: Uttarakhand.

Total Number of Districts:. .13.

Sr.No	Identified District	Specific areas within District, identified as atrocity prone areas	Measures taken for the removal of such disability in such areas
	NIL	NIL	राज्य का कोई भी जनपद या क्षेत्र अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न से प्रभावित नहीं है।
	Total:-	NiL	

Special Courts & Exclusive Special Courts set up for speedy trial of cases under the Act

State/UT: Uttarakhand.

Total Number of Districts: 13

Sr. No	Name of the District where set up: 13	
	Special Courts	**Exclusive Special Courts**
1	उत्तराखण्ड राज्य के शासनादेश संख्या–189 /XVII–4/2017–243(स0क0)2002टी0सी0–1 दिनांक 17 अप्रैल 2017 के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराधों के शीघ्र विचारण हेतु राज्य के प्रत्येक जनपद के जिला एवं सत्र न्यायालय को उसके विशेष क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।	NiL
Total:	13	

Annexure-XIII

SPECIFICATION OF SPECIAL PUBLIC PROSECUTORS AND EXCLUSIVE SPECIAL PUBLIC PROSECUTORS (ref: section 15 (1) and (2) of the PoA Act as amended)

State/UT: Uttarakhand.

Number of:		Number of:	
Special Courts in the State/UT	Special Public Prosecutors specified for conducting cases in the Special Courts	Exclusive Special Courts in the State/UT	Exclusive Special Public Prosecutors Specified for conducting cases in Exclusive Special Prosecutors
Uttarakhand.	01	NIL	NIL

Annexure-XIV

SETTING UP SC/ST PROTECTION CELL (ref: rule of the PoA Rules as amended)

State/UT: Uttarakhand.

Whether the SC/ST Protection cell has been set up	**Whether the SC/ST Cell is discharging all the responsibility specified in Rule 8 of the Poa Rule**	**Whether additional responsibility has been entrusted to SC/ST Protection Cell which is other than that spcified under Rule 8**
राज्य के सभी 13 जनपदों में एस0सी0 / एस0टी0 संरक्षण कक्ष स्थापित है।	मुख्यालय स्तर पर अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ से सम्बन्धित कार्यो का पर्यवेक्षण अपर महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड द्वारा किया जाता है।	अनुसूचित जाति / जनजाति उत्पीड़न से सम्बन्धित अपराधों की रोकथाम हेतु राज्य के प्रत्येक जनपद में विशेष जॉच प्रकोष्ठ की स्थापना कर नोडल अधिकारी नियुक्त हैं, जिनके कार्यो का पर्यवेक्षण सम्बन्धित जनपद प्रभारी द्वारा किया जाता है।

Annexure-XV

SPECIAL POLICE STATIONS SET UP TO INVESTIGATE OFFENCER AGAINST MEMBERS OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

State/UT: Uttarakhand.

Total number of distrits: .13

Sr. No.	District where special police station has been set up		Name of Districts where special Police station has not been set up
	Name of the Distirct	Number of Special police Stations	
राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न से प्रभावित क्षेत्र नहीं है, जिस कारण अलग से कोई विशेष थाने का गठन नहीं किया गया है।			

Annexure-XVI

NON–SC /ST OFFICERS PUNISHED FOR WILFUL NEGLECT OF DUTIES

(Ref: Section 4 of Act as amended)

State/UT:Uttarakhand.

Number of officers punished for first offence under Section 4 of the POA Act as amended	Number of officers punished for second and subsequent offence under Section 5 of the POA ACT
NIL	NIL

Annexure-XVII

Nodal officers nominated to co-ordinate functioning of the District Magistrates and Superintendent of Police and other officers, responsible for implementing provisions of the Act.

(Ref: Rule 9 of POA Rules, 1995 as amended)

State/UT: Uttarakhand.

(i) Whether quarterly progress report received from the SC/ST Protection Cells:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार–उत्पीड़न से सम्बन्धित अपराधों की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित की जाती है। जनपदों में घटित अपराधों की त्रैमासिक रिपोर्ट परिक्षेत्रों के माध्यम से मुख्यालय स्तर पर संकलित कर सूचना शासन/समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जाती है।

(ii) Whether the review was undertaken of the reports mentioned above:

शून्य

Annexure-XVIII

Special officers appointed for identified areas to co-ordinate with the District magistrate, Superintendent 0f Police or other officers responsible for implementing the provisions of the Act, various Committees and the scheduled castes and the scheduled tribes Protection Cell

(Ref: Rule 10 of the POA Rules, 1995 as amended)

State/UT: Uttarakhand.

Total Number of Districts: -13

Sr. No	Identified District	Whether Special officer appointed (Yes/No)	Designation of the special officers
	NIL	NIL	NIL
		Total Number:	

Annexure-XIX

IMPLEMENTATION OF A PLAN PREPARED FOR EFFECTIVELY IMPLEMENTING PROVISIONS OF THE ACT AND ITS NOTIFICATION IN THE STATE GAZETTE,

(Ref: Rule 15 of the POA Rules, 1995)

State/UT: Uttarakhand.

1. Whether the plan has been formulated (yes/no)	उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–1384 / XVII–4 / 2016–243(स.क.) / 2002–TC-I
2. If yes, please describe its gist, and also attach its copy as required under rule 15(2) of the PoA Rules, as amended.	दिनांक 27 दिसम्बर 2016 द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार–निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 तथा अनुसूचित जाति और जनाति (अत्याचार–निवारण) संशोधन नियम, 2016 को लागू किया गया है।

Annexure-XX

STEPS TAKEN BY STATE GOVERNMENT/UNION TERRITORY ADMINISTRATION

State/UT: Uttarakhand.

Number of Publicity/ Awareness Programmes conducted	Number of officers sensitized, amongst:	
	Police	others
NIL	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्राविधानों का अनुश्रवण एवं प्रचार/प्रसार करने हेतु जनपदों में आयोजित होने वाली गोष्ठीयों में प्रतिभाग किया जाता है। पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम एवं संशोधित अधिनियम की विस्तृत जानकारी व्यवहारिक प्रशिक्षण, रिफ्रेसर कोर्स एवं समय–समय पर होने वाले विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान दिया जाता है।	

Annexure-XXI

APPEALS FILED IN SUPERIOR COURTS IN CASES WHICH ENDED IN ACOUITTAL

State/UT: Uttarakhand.

Number of cases which ended in acquittal	Number of cases in which appeals filed in superior courts against acquittal
27	14

Annexure-XXII

ACTION TAKEN TO RECOGNIZE/ REWARD PERSONS / ORGANIZATIONS WHO HAVE DONE EXEMPLARY WORK IN PREVENTION OF ATROCITIES AND REMOVAL OF UNTOUCHABILITY

Sr. No	Names of persons Awarded	Work Done	Names of organizations Awarded	Work Done
	NIL	NIL	NIL	NIL

Annexure-XXIII

Review of performance of Public Prosecutors

(Ref: Rule 4 (2 & 3) of the POA Rules as amended)

State /UT: Uttrakhand.

Names of Special Puplic Prosecutors and Exclusive Special Public Prosecutors changed for not pleading the PoA Act related cases effectively	
1. 2. 3. 4. 5.	NiL
Total Number -	NiL